## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

**राजस्व लोक अदालत मुकाम बैंरा तहसील बनेड़ा**

**: : मूल वाद मे प्रारम्भिक डिक्री : :**

**{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}**

**...न अधिकारी – श्री संजय माथुर**
**(आर.ए.एस.)**

...संख्या : 93/2015 राजस्व वाद

**उनवान**

...तर सिंह पिता बाल सिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

— (वादीगण)

**बनाम**

...ोहन सिंह पिता समरथ सिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
...तनसिंह पिता समरथ सिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
...राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात</u>

उपस्थित –
1. श्री कृष्ण कुमार जीनगर (अधिवक्ता वादी)

दिनांक– 15.06.2016

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी गण जारी की ...ती हैं एवं तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर नियुक्त करते हुए आदेशित किया जाता है कि ग्राम ...वन्तपुरा प0ह0 बैंरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र वृत बैंरा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2069 से ...72 **खाता संख्या 171 की आ0न0 843, 847, 848, 850, कुल किता 4 कुल रकबा 09–12** ...घा मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी नियम 8–21 की ...लना करते हुए विभाजन सूची तैयार कर विभाजन सूची मय नक्शा ट्रेस न्यायालय में दिनांक ...क प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

है परन्तु प्रतिवादीगण ने मना कर दिया ओर कहा कि जिसको आवश्यकता हो वह

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
## राजस्व लोक अदालत मुकाम बैंरा तहसील बनेड़ा
## पीठासीन अधिकारी – श्री संजय माथुर
(आर.ए.एस.)

संख्या : 93/2015 राजस्व वाद

**उनवान**

...र सिंह पिता बाल सिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

—- (वादीगण)

**बनाम**

मोहन सिंह पिता समरथ सिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
रतनसिंह पिता समरथ सिंह राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलेवाड़ा (राज.)

—-(प्रतिवादी गण)

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात**

उपस्थित –
1. श्री कृष्ण कुमार जीनगर (अधिवक्ता वादी)

**निर्णय**

दिनांक – 15.06.2016

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद वादी अन्तर्गत 53, 188 राजस्थान ...तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए वादीगण की ओर से न्यायालय मे निवेदन किया की वादी ...तिवादी संख्या 1 , 2 के नाम ग्राम जसवन्तपुरा प0ह0 बैंरा भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र बैंरा तहसील ...डा की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 **खाता संख्या 171 की आ0न0 843, 847, 848, 850, ... किता 4 कुल रकबा 09–12 बीघा,** आराजियात स्थित हैं। जिसमे वादीगण व प्रतिवादी गण ...ख्या 1 , 2 का हिस्सा निहित हैं। वादीगण शामलाती आराजियात होने से अपने हक हिस्से की ...राजी का समुचित ढंग से विकास नहीं कर सकता हैं। प्रतिवादी गण बंटवारा कराने को सहमत ...हीं हैं इसलिए वाद वादी स्वीकार फरमाते हुये डिक्री से वादग्रस्त आराजियात मे से वादी को ...तेदार काश्तकार घोषित करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड से विभाजन करा एवं राजस्व ...कार्ड मे पृथक से वादीगण का नाम खाता कायम करने की डिक्री पारित की जावे साथ ही ...थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी पारित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को ...रिए नोटिस तलब किया गया एवं वाद को राजस्व लोक अदालत मे दिनांक 15.06.2016 को ...म बैंरा मे निस्तारण हेतु उभयपक्षों को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादी व अधिवक्ता वादी ...री कृष्ण कुमार जीनगर द्वारा राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होकर प्रकरण के निस्तारण पर ...सहमति व्यक्त की। वाद पत्र आराजियात बटंवारा बाबत हैं एवं पक्षकारान उभयपक्ष केम्प में उपस्थित रहे। लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुये वाद वादी स्वीकार किया जाकर ...रारम्भिक डिक्री इस आशय की जारी की जावे की ग्राम जसवन्तपुरा को तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 **खाता संख्या 171 की आ0न0 843, 847, 848, 850, कुल किता 4**

...है परन्तु प्रतिवादीगण ने मना कर दिया ओर कहा कि जिसको आवश्यकता हो वह आराजीयात का बटवाडा करा लेवे।

**कबा 09–12 बीघा** ,आराजियात का बहस वाद मे सुनी गई। वादी की ओर से विद्वान ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादी के खातेदार होने से उसके हक हिस्से र वादग्रस्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक से अंकन करते हुये बटंवारा किया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री पारित की है।

**: : आदेश : :**

दिनांक – 15.06.2016

वाद पत्र वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम जसवन्तपुरा प0ह0 बेंरा निरीक्षक क्षैत्र वृत बैंरा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 **खाता संख्या 171** 843, 847, 848, 850, **कुल किता 4 कुल रकबा 09–12 बीघा** मे वादीगण व वादीगण संख्या 1 , 2 के हक हिस्से अनुसार विभाजन हेतु तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर त किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता हैं कि वाद पत्र मे दर्ज आराजियात का बटंवारा जावे। राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की पालना करते हुये बाई मीट्स एण्ड ण्ड विभाजन करते हुये विभाजन सूची मय नक्शा ट्रेस तैयार कर न्यायालय मे प्रस्तुत करे। अनुसार प्रारम्भिक डिक्री मुर्तिब हो। निर्णय आज दिनांक 15.06.2016 को खुले न्यायालय स्थ लोक अदालत केम्प बैंरा मे सुनाया गया।

(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

हे परन्तु प्रतिवादीगण ने मना कर दिया ओर कहा कि जिसको आवश्यकता हो वह आराजीयात का बटवाडा करा लेवे1